रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 398] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 23, 1994/आश्विन 1, 1916
No. 398] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 23, 1994/ASVINA 1, 1916

वाणिज्य मंत्रालय

(पूर्ति विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 1994

सा.का.नि. 721(अ)—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारतीय निरीक्षण सेवा (समूह "क") नियम, 1961 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय निरीक्षण सेवा (समूह क) नियम, 1994 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;—

(क) किसी श्रेणी के संबंध में 'नियुक्ति प्राधिकारी' से केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अधीन उस श्रेणी में नियुक्तियां करने के लिये सशक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है ;

(ख) "काडर" से अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट श्रेणियों में के पदों का समूह अभिप्रेत है ;

(ग) "काडर नियंत्रण प्राधिकारी" से भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय का पूर्ति विभाग अभिप्रेत है।

(घ) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ङ) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से किसी श्रेणी में प्रोन्नति या पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिये गठित कोई समिति अभिप्रेत है ;

(च) "कर्तव्य पद" से अनुसूची 1 में सम्मिलित कोई पद अभिप्रेत है;

(छ) "सरकार" से भारत सरकार अभिप्रेत है ;

(ज) "श्रेणी" से अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट कोई श्रेणी अभिप्रेत है ;

(झ) "किसी श्रेणी के संबंध में" नियमित सेवा से उस श्रेणी में नियमित नियुक्ति के लिये विहित प्रक्रिया के अनुसार नियमों के अधीन उस

पद पर चयन और नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में की गई सेवा की अवधि अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत ऐसी अवधि भी आती है —

(1) जो नियम 6 के अधीन नियुक्त किये गये व्यक्तियों की दशा में ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिये हिसाब में ली जाती है ;

(2) जिसके दौरान किसी अधिकारी ने उस श्रेणी में कोई कर्तव्य पद धारण किया होता यदि वह छुट्टी पर नहीं होती, या ऐसा पद धारण करने के लिये अन्यथा उपलब्ध नहीं होता;

(ञ) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची से अभिप्रेत है ;

(ट) "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति" के वही अर्थ होंगे जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में उनके हैं

(ठ) "सेवा" से भारतीय निरीक्षण सेवा (समूह "क") अभिप्रेत है :

(ड) "उप काडर" से वे चार शाखाएं अभिप्रेत हैं अर्थात् :—

सेवा के कनिष्ठ काल वेतनमान और ज्येष्ठ काल वेतनमान में इंजीनियरी, टैक्सटाइल, धातुकर्म और धातुकर्म-रसायन ।

3. सेवा की संरचना :

(1) अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट सेवा में सम्मिलित सभी कर्तव्य पद केन्द्रीय सिविल सेवा समूह "क" पद के रूप में वर्गीकृत किये जायेंगे ।

(2) सेवा के ज्येष्ठ काल वेतनमान और कनिष्ठ काल वेतनमान वाले सभी पदों के चार उप काडर होंगे, अर्थात् :—इंजीनियरी टैक्सटाइल, धातुकर्म और धातुकर्म-रसायन ।

4. श्रेणी, संख्या और उसका पुनर्विलोकन :

(1) इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित कर्तव्य पद, उनकी संख्या और वेतनमान वे होंगे जो अनुसूची 1 विनिर्दिष्ट है ;

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी—

(क) सरकार, समय-समय पर विभिन्न श्रेणियों के कर्तव्य पदों में अस्थाई परिवर्धन या परिवर्तन कर सकेगी ;

(ख) सरकार आयोग के परामर्श से सेवा में ऐसे पद सम्मिलित कर सकेगी जिन्हें प्रास्थिति, श्रेणी, वेतनमान और वृत्तिक विषयवस्तु में सेवा में सम्मिलित पदों के समतुल्य समझा जा सकता है या सेवा में पहले ही सम्मिलित किसी कर्तव्य पद को सेवा से हटा सकेगी, और

(ग) सरकार, आयोग के परामर्श से खंड (ख) के अधीन सेवा में सम्मिलित किसी कर्तव्य पद पर किसी अधिकारी को नियमित आधार पर समुचित श्रेणी में नियुक्त कर सकेगी और सदृश श्रेणी में उसकी निरन्तर नियमित सेवा को ध्यान में रखते हुए उस श्रेणी में उसकी ज्येष्ठता नियत कर सकेगी ।

5. सेवा के सदस्य :

(1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे :—

(क) नियम 6 के अधीन कर्तव्य पदों पर नियुक्त व्यक्ति; और

(ख) नियम 7 के अधीन कर्तव्य पदों पर नियुक्त व्यक्ति ।

(2) उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति पर अनुसूची 1 में उसे लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य समझा जायेगा ।

(3) उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति की तारीख से अनुसूची 1 में में उसे लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य होगा ।

6. सेवा का प्रारम्भिक गठन :

(1) वे सभी विद्यमान अधिकारी जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को भारतीय निरीक्षण सेवा के कनिष्ठ काल वेतनमान, ज्येष्ठ काल वेतनमान, कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के चयन श्रेणी कृत्यिक में नियमित आधार पर कर्तव्य पद धारण किये हुए हैं, अपनी-अपनी श्रेणी में सेवा के सदस्य होंगे ।

(2) वे सभी विद्यमान अधिकारी जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को सेवा की क्रमशः ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी की चयन श्रेणी कृत्यिक में नियमित आधार पर अपर महानिदेशक उप महानिदेशक के कर्तव्य पद धारण किये हुए हैं इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व यथाविद्यमान अपने-अपने पदों पर और श्रेणियों में तब तक बने रहेंगे जब तक कि उनकी उपनियम (3) के उपबंधों के अनुसार 7300—7600 रु. की उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी में अपर महानिदेशक और 5900—6700 रु. की ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी उप-महानिदेशक के उन्नत पद पर नियुक्ति नहीं हो जाती ।

(3) ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (5900—6700 रु.) में अपर महानिदेशक और कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (4500—5700 रु.) की कृत्यिक चयन श्रेणी में उप-महानिदेशक के पदों के क्रमशः 7300—7600 रु. और 5900—6700 रु. के वेतनमान में उन पदों के उन्नयन से पूर्व विद्यमान नियमित धारकों की उपयुक्तता का उन्नयित पदों पर नियुक्ति के लिये निर्धारण-आरम्भ में आयोग द्वारा किया जायेगा । यदि उपर्युक्त निर्धारित

किया जाता है तो उन्हें प्रारंभिक गठन पर उस पद पर नियुक्त किया गया समझा जायेगा। यदि उन्हें उन्नयित वेतनमान पर नियुक्ति के लिये उपयुक्त निर्धारित नहीं किया जाता तो वे पुनरीक्षण पूर्व वेतनमान में बने रहेंगे और उनके मामले का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन किया जायेगा।

(4) इस नियमों के प्रारम्भ से पूर्व उपनियम (1) और उपनियम (2) में निर्दिष्ट अधिकारियों की नियमित निरंतर सेवा की गठन सेवा में परिवीक्षा, प्रोन्नति के लिये अर्हक सेवा, पुष्टिकरण और पेंशन के प्रयोजन के लिये की जायेगी।

(5) जहां काडर नियंत्रण प्राधिकारी इस नियम के उपबन्धों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों की प्राधिकृत नियमित संख्या में पदों को भरने में समर्थ न हो वहां उन्हें नियम 7 और नियम 8 के उपबन्धों के अनुसार भरा जायेगा।

7. भविष्य में सेवा को बनाये रखना

(i) अनुसूची 1 में निर्दिष्ट किसी श्रेणी की रिक्तियों इस नियम में इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति में भरी जायेंगी।

(2) (क) (i) सेवा में कनिष्ठ काल वेतनमान के इंजीनियरी उप काडर की पचास प्रतिशत रिक्तियां इसके नीचे खंड (2) में उपबंधित विस्तार तक के सिवाय, इस प्रयोजन के लिय आयोग द्वारा विनिश्चित शैक्षिक अर्हतायें और आयु सीमा के आधार पर आयोग द्वारा संचालित सम्मिलित इंजीनियरी सेवा परीक्षा के परिणामो के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जायेंगी।

(ii) सेवा में कनिष्ठ काल वेतनमान के इंजीनियरी उप काडर की सीधी भर्ती कोटे के अन्तर्गत आने वाली ऐसी रिक्तियां जिनके लिये सम्मिलित इंजीनियरी सेवा परीक्षा के अन्तर्गत न आने वाली विशिष्ट अर्हता अपेक्षित है, संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों में से भरी जायेंगी जिनके पास अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, अनुभव और आयु सीमा है।

(ख) सेवा के कनिष्ठ काल वेतनमान में टैक्सटाइल, धातुकर्म और धातुकर्म-रसायन के उप काडरों की 50 प्रतिशत रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों में से भरी जायेंगी जिनके पास अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक अर्हतायें, अनुभव और आयु सीमा है।

(ग) सेवा के कनिष्ठ काल वेतनमान के सभी चार उप काडरों, अर्थात् इंजीनियरी, टेक्सटाइल, धातुकर्म और धातुकर्म-रसायन की 50 प्रतिशत रिक्तियां संबंधित शाखाओं की निम्न श्रेणियों के ऐसे अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा भरी जायेंगी, जिन्होंने अनुसूची–4 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा की है।

(3) सेवा के ज्येष्ठ काल वेतनमान के चार-काडरों की सभी रिक्तियां संबंधित उप काडर का ठीक नीचे की श्रेणी के ऐसे अधिकारियों में से भरी जायेंगी जिन्होंने अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा की है।

(4) सेवा की कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी और उससे ऊपर की श्रेणियों की सभी रिक्तियां सेवा की ठीक नीचे की श्रेणी के ऐसे अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा भरी जाएगी जिन्होंने अनुसूची-4 में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा की है।

(5) प्रोन्नति के लिये अधिकारियों का चयन निम्न लिखित मामलों के सिवाय गुणावगुण के आधार पर चयन द्वारा किया जायेगा, अर्थात् :—

(क) सेवा में कनिष्ठ वेतनमान के पदों में से ज्येष्ठ काल वेतनमान के पदों पर अधिकारियों की प्रोन्नति अनुपयुक्त व्यक्तियों की स्वीकृति के अधीन रहते हुए, ज्येष्ठता के क्रम में की जायेगी; और

(ख) सेवा की कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में चयन श्रेणी (अकृत्यिक) सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार संपूर्ण कार्यपालन अनुभव और अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी उपयुक्तता पर आधारित ज्येष्ठता के क्रम में दी जायेगी।

(6) उपनियम (2) (ग), उपनियम (3) और उपनियम (4) के अधीन आने वाले प्रत्येक मामले में अधिकारी का चयन, अनुसूची–5 के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जायेगा।

(7) यदि सेवा की किसी श्रेणी में नियुक्त किसी अधिकारी के संबध में, उच्चतर पद पर प्रोन्नति के प्रयोजन के लिये विचार किया जाता है तो उस श्रेणी में उससे ज्येष्ठ सभी व्यक्तियों के संबंध में भी इस बात के होते हुए भी विचार किया जायेगा कि वे विहित पात्रता सेवा पूरी नहीं करते हैं यदि कभी एक वर्ष से अधिक नहीं है और परन्तु यह तब जब कि उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि, यदि विहित की गई हो, सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

8. कर्तव्यों पदों का प्रतिनियुक्ति पर भरा जाना

नियम 7 में किसी बात के होते हुए भी, जहां सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिये जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके

तथा आयोग से परामर्श करके किसी श्रेणी के किसी कर्तव्य पद को तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए, जो विशेष परिस्थितियों में, जैसा कि सरकार उपयुक्त समझे, 5 वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी, प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा भर सकेगी; इस नियम के अधीन सेवा की किसी श्रेणी में नियुक्ति के लिये अर्हता, अनुभव और पात्रता सेवा सरकार द्वारा प्रत्येक अवसर पर आयोग से परामर्श करके विनिश्चित की जायेगी।

9. ज्येष्ठता

(1) किसी श्रेणी में नियुक्त किए गए सेवा के सदस्यों की नियम 6 के अधीन सेवा के प्रारंभिक गठन के समय अपने-अपने उप काडरों में सापेक्ष ज्येष्ठता वह होगी जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को प्राप्त हो; परन्तु यदि ऐसे किसी सदस्य की ज्येष्ठता उक्त तारीख को विनिर्दिष्ट रूप से अवधारित नहीं की गई थी तो वह ज्येष्ठता के नियतन को शासित करने वाले उन नियमों के आधार पर अवधारित की जाएगी जो नियमों के प्रारम्भ से पूर्व सेवा के सदस्यों को लागू होते थे।

(2) नियम 6 के अधीन नियुक्त किए गए व्यक्तियों में भिन्न सेवा में भर्ती किए गए व्यक्तियों की ज्येष्ठता सरकार द्वारा इस विषय पर समय-समय पर जारी किए गए साधारण अनुदेशों के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) के अंतर्गत न आने वाले मामलों में ज्येष्ठता का अवधारण सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

10. परिवीक्षा

(1) सेवा के कनिष्ठ काल वेतनमान में के पद पर सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा नियुक्त होने पर प्रत्येक अधिकारी दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा।

परन्तु नियंत्रण प्राधिकारी सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा सकेगा।

परन्तु यह और कि परिवीक्षा अवधि को बढ़ाने का कोई विनिश्चय परिवीक्षा की प्रारंभिक अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात् और साधारणतः आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा और संबंधित अधिकारी को ऐसा करने के कारणों सहित उक्त अवधि के भीतर किया जाएगा।

(2) परिवीक्षा अवधि या उसकी बढ़ाई गई किसी अवधि के पूरा होने पर अधिकारी को, यदि उसे स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाता है तो सरकार के विद्यमान आदेशों के निबंधनों के अनुसार, पुष्टि की जाएगी।

(3) यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या उसकी बढ़ाई गई किसी अवधि के दौरान सरकार की यह राय है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, तो सरकार अधिकारी को यथास्थिति सेवोन्मुक्त कर सकेगी या उसे उस पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगी जो सेवा में उसकी नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारण किया गया हो।

(4) परिवीक्षा अवधि या उसकी बढ़ाई गई किसी अवधि के दौरान सरकार किसी अधिकारी से परिवीक्षा के समाधानप्रद रूप में पूरा करने की शर्त के रूप में यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसे प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करें या ऐसी परीक्षाएं या ऐसे परीक्षण (जिसके अन्तर्गत हिन्दी में परीक्षा भी है), उत्तीर्ण करें जो सरकार उपयुक्त समझे।

(5) जहां तक परिवीक्षा से संबंधित अन्य विषयों का संबंध है, सेवा के सदस्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों द्वारा शासित होंगे।

11. सेवा में नियुक्ति

सेवा में सभी नियुक्तियां, सेवा की विभिन्न श्रेणियों के सभी कर्तव्य पदों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी।

12. तैनाती

सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारियों को भारत या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवा करनी पड़ सकती है।

13. रक्षा सेवाओं में या रक्षा से संबद्ध पदों पर सेवा करने का दायित्व :

सेवा में नियुक्त किया गया कोई अधिकारी, यदि ऐसी अपेक्षा की जाए तो चार वर्ष से अन्यून अवधि के लिए, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षण पर, यदि कोई हो, व्यतीत की गई अवधि भी है, किसी रक्षा सेवा या भारत की रक्षा से संबंधित पद पर सेवा करने का दायी होगा :

परन्तु ऐसे अधिकारी से—

(i) सेवा में नियुक्ति की तारीख से या सेवा में उसके प्रवेश करने की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उपर्युक्त रूप में सेवा करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी —

(ii) यदि उसने चालीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तो उपर्युक्त रूप में सेवा करने की साधारणतः अपेक्षा नहीं की जाएगी।

14. निरर्हता

वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

15. सेवा की अन्य शर्तें

सेवा के सदस्यों की, ऐसे विषयों की बाबत, जिनके लिए इन नियमों में कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं किया गया है, सेवा शर्तें वही होंगी जो केन्द्रीय सरकार के समतुल्य पंक्ति के अधिकारियों को समय-समय पर लागू होती हैं।

16. शिथिल करने की शक्ति

जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

17. व्यावृत्ति—

इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

18. निर्वचन

यदि इन नियमों के निर्वचन से संबंधित कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसका विनिश्चय सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से किया जाएगा।

[फा. सं. आर—12011/1/10-सा. -2]

मुसाफिर सिंह, अवर सचिव

टिप्पणी:— मूल नियम दिनांक 19-1-1961 की अधिसूचना सं. स्था-11/60(4)/57 द्वारा अधिसूचित किए गए थे, जिन्हें दि. की जी. एस. आर. सं. 66 के अन्तर्गत भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया और जिन्हें बाद में निम्नप्रकार संशोधित किया गया:—

सं.	अधिसूचना	दिनांक	जी. एस. आर. सं.
1.		21-1-63	तुरन्त उपलब्ध नहीं
2.	49/24/61-स्था. II	18-1-64	199 दि. 8-2-1964
3.	पी. 60/1/62-स्था. II	18-6-65	916 दि. 3-7-1965
4.	42/29/65-स्था. II	30-11-65	1801 दि. 11-12-1965
5		18-9-68	तुरन्त उपलब्ध नहीं
6.		14-3-69	तुरन्त उपलब्ध नहीं
7.	60/1/68-स्था. II	15-3-71	422 दि. 27-3-1971
8.	49/9/69-स्था. II	25-5-72	638 दि. 3-6-1972
9	49/9/69-स्था. II	16-8-72	1218 दि. 30-9-1972
10.	60/1/68—स्था. II	30-8-72	1219 दि. 30-9-1972
11.	ए-12025/ /76-स्था. II	30-6-76	980 दि. 23-7-1977
12.	ए-12018/7/83-स्था. II	31-10-83	966 दि. 17-12-1983
13.	ए-12018/7/83-स्था. II		

अनुसूची 1

[नियम 4 का उप नियम (1) देखिए]

भारतीय निरीक्षण सेवा (समूह "क") की विभिन्न श्रेणियों में कर्तव्य पदों का नाम, उनकी संख्या और उनके वेतनमान

क्रम सं.	श्रेणी/पद का नाम		पदों की सं.*	वेतनमान
1.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी (अपर महानिदेशक)		1	7300-100-7600 रुपए
2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (उप महानिदेशक)		5	5700-200-6700 रुपए
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी चयन श्रेणी अकुन्यिक (निदेशक)		5	4500-150-5700 रुपए
4.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (निदेशक)		21@	3700-125-4700-150-5000 रुपए
5.	ज्येष्ठ काल वेतनमान (उप निदेशक)		46	3000-100-3500-125-4500 रुपए
	इंजीनियरी	27		
	टैक्सटाइल	06		
	धातुकर्म	11		
	धातुकर्म रसायन	02		
6.	कनिष्ठ काल वेतनमान (सहायक निदेशक/निरीक्षण अधिकारी)		कर्तव्य पद 30	2200-75-2800- द.रो.-100-4000 रुपए

आरक्षण

कर्तव्य पद:—		छुट्टी	प्रतिनियुक्ति	परिवीक्षा
इंजीनियरी	14	06	04	04
टैक्सटाइल	5	01	—	—
धातुकर्म	9	01	01	—
धातुकर्म रसायन	2	01	—	—
	30 कुल आरक्षित	18		

*1994 में कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

@इसके अंतर्गत 4500—150—5000 रु. के वेतनमान वाले चयन श्रेणी अकृत्यिक पद भी हैं ।

$कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी - चयन श्रेणी अकृत्यिक है और इस श्रेणी में पदों की अधिकतम संख्या ज्येष्ठ कर्तव्य पदों के 15 प्रतिशत के बराबर होगी (अर्थात् सेवा में ज्येष्ठ काल वेतनमान और उससे ऊपर के स्तर के सभी कर्तव्य पद) और चयन श्रेणी अकृत्यिक में पदों की अधिकतम संख्या कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी 1 में स्वीकृत पदों की संख्या तक सीमित होगी ।

अनुसूची 2

[नियम 7 का उपनियम 2(क)(ii) देखिए]

कनिष्ठ काल वेतनमान के इंजीनियरी उप काडर में के पदों पर सीधी भर्ती के लिये न्यूनतम शैक्षिक अर्हतायें और आयु सीमा जो सम्मिलित इंजीनियरी सेवा परीक्षा के अन्तर्गत नहीं आती है।

इंजीनियरी उप काडर

(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय/संस्था से इंजीनियरी की सुसंगत शाखा में डिग्री या समतुल्य।

(2) इंजीनियरी की सुसंगत शाखा में तीन वर्ष का वृत्तिक अनुभव।

टिप्पण 1. अर्हतायें अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है

टिप्पण 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हतायें) ।

संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में, तब शिथिल की जा सकती है/है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। निश्चित शाखा प्रत्येक चयन के समय उपदर्शित की जायेगी।

टिप्पण (क) ऐसे अभ्यर्थियों की आयु पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं होगी (सरकार द्वारा भरी जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवक के लिये पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) ।

टिप्पण (ख)—आयु सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा, जिले के पांगी उपखंड, अंडमान निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिये निर्दिष्ट की गई है)।

अनुसूची 3

[नियम 7 का उपनियम 2(ख) देखिए]

भारतीय निरीक्षण सेवा के कनिष्ठ काल वेतनमान के टैक्सटाइल, धातुकर्म और धातुकर्म-रसायन के उप काडरों के पदों पर सीधी भर्ती के लिये न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं और आयु सीमा।

(क) टैक्सटाइल उप काडर

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से टैक्सटाइल प्रौद्योगिकी या चमड़ा प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य।

(2) टैक्सटाइल/चमड़ा माल के विनिर्माण या क्वालिटी नियंत्रण में तीन वर्ष का वृत्तिक अनुभव।

ऐसे अभ्यर्थियों की आयु पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवक के लिये पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

(ख) धातुकर्म उप काडर

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से धातुकर्म में डिग्री।

(ii) धातुकर्म उत्पादों के उत्पादन या क्वालिटी नियंत्रण में तीन वर्ष का वृत्तिक अनुभव।

ऐसे अभ्यर्थियों की आयु पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं होगी (सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवक के लिये पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

(ग) धातुकर्म-रसायन उप काडर

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से रसायन शास्त्र में मास्टर डिग्री या समतुल्य।

(ii) धातु या गैर धातु के रासायनिक विश्लेषण में तीन वर्ष का वृत्तिक अनुभव।

ऐसे अभ्यर्थियों की आयु पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं होगी (सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवक के लिये आयु पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)

टिप्पण 1: अर्हताएं अन्यथा सुनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उसके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

टिप्पण 3: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

अनुसूची-4

[नियम 7 के उपनियम (2)(ग), (3) और (4) देखिए]

भारतीय निरीक्षण सेवा की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित कर्तव्य पदों पर प्रोन्नति के लिए अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति क्षेत्र ठीक निम्न श्रेणी में न्यूनतम अर्हक सेवा।

क्रम सं.	श्रेणी (कर्तव्य पद)	भर्ती की पद्धति	चयन का क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा
1	2	3	4
1.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी (अपर महानिदेशक)	प्रोन्नति द्वारा	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।
2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (उपमहानिदेशक)	प्रोन्नति	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है (जिसके अन्तर्गत अकृत्रिक चयन श्रेणी में की गई सेवा यदि कोई हो, भी है) या सेवा की समूह "क" पदों पर 17 वर्ष नियमित सेवा की है जिसमें से चार वर्ष की नियमित सेवा कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में होनी चाहिए।

1	2	3	4
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी, चयन श्रेणी (अकृषिक), (निदेशक)	समग्र कार्यपालन अनुभव और जिन्हीं अन्य संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्तता पर आधारित ज्येष्ठता के आधार पर नियुक्ति द्वारा	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस वर्ष की प्रथम जुलाई को जिसकी गणना उस परीक्षा चयन, जिसके द्वारा सदस्यों की समूह "क" पदों पर नियुक्ति/भर्ती की गई थी के वर्ष के आगामी वर्ष से की जाएगी, समूह "क" सेवा के चौदहवें वर्ष में प्रवेश कर लिया है ।
4.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (निदेशक)	प्रोन्नति द्वारा	सेवा के सभी चार उप काडरों में ज्येष्ठ काल वेतनमान में ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है । टिप्पण : कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के पदों पर प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए सेवा के ज्येष्ठ काल वेतनमान के चार उप काडरों के सभी अधिकारियों की एक प्राप्तता सूची अधिकारियों द्वारा अपने-अपने उप काडर में विहित अर्हक सेवा पूरी करने की तारीख के प्रति निर्देश से उनके अपने-अपने उप काडर में उनकी परस्पर ज्येष्ठता में विघ्न डाले बिना तैयार की जाएगी ।
5.	ज्येष्ठ काल वेतनमान (उप निदेशक)	अचयन आधार पर प्रोन्नति द्वारा	सेवा के संबंधित उप काडरों के कनिष्ठ काल वेतनमान में ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास सेवा के कनिष्ठ काल वेतनमान में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हता है । टिप्पण : तथापि, सेवा के कनिष्ठ काल वेतनमान में सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं ऐसे विद्यमान पद धारकों को लागू नहीं होंगी जो इन नियमों के अधिसूचित किए जाने की तारीख को नियमित आधार पर सहायक निदेशक/निरीक्षण अधिकारी का पद धारण किए हुए हैं ।
6.	कनिष्ठ काल वेतनमान (सहायक निदेशक/निरीक्षण अधिकारी)	50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा 50 प्रतिशत नियम 7(2)(क)(i), 2(क)(ii), 2(ख) के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा ।	संबंधित शाखा के ऐसे सहायक निरीक्षण अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है ।

अनुसूची-5

[नियम 7 का उप नियम (6) देखिए]

भारतीय निरीक्षण सेवा में सम्मिलित समूह 'क' के पदों पर प्रोन्नति और पुष्टि के मामलों पर विचार करने के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना ।

क्रम सं.	श्रेणी	श्रेणी 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)		श्रेणी "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)
1	2	3		4
1.	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी (अपर महानिदेशक)	1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग	अध्यक्ष	लागू नहीं होना
		2. सचिव (पूर्ति)	सदस्य	
		3. सचिव (वाणिज्य मंत्रालय)	सदस्य	

1	2	3	4	5
2.	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (उप महानिदेशक)	1. अध्यक्ष/सचिव संघ लोक सेवा आयोग	अध्यक्ष	लागू नहीं होता
		2 सचिव/अपर सचिव (पूर्ति)	सदस्य	
		3. महानिदेशक (एस एंड डी)	सदस्य	
3.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी चयन श्रेणी (एन. एफ.) (निदेशक)	1 सचिव/अपर सचिव (पूर्ति)	अध्यक्ष	लागू नहीं होता
		2. अपर महानिदेशक	सदस्य	
		3. संयुक्त सचिव (पूर्ति)	सदस्य	
4.	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (निदेशक)	1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग	अध्यक्ष	लागू नहीं होता
		2 संयुक्त सचिव (पूर्ति)	सदस्य	
		3. अपर महानिदेशक	सदस्य	
5.	ज्येष्ठ काल वेतनमान (उपमहानिदेशक)	1. संयुक्त सचिव (पूर्ति)	अध्यक्ष	लागू नहीं होता
		2. उप महानिदेशक	सदस्य	
		3. निदेशक/उप सचिव (पूर्ति)	सदस्य	
6.	कनिष्ठ काल वेतनमान (सहायक निदेशक/निरीक्षण अधिकारी)	1. अध्यक्ष/सदस्य संघ लोक सेवा आयोग	अध्यक्ष	1. महानिदेशक (एस एंड डी) अपर महानिदेशक—अध्यक्ष
		2 अपर महानिदेशक/उप महानिदेशक	सदस्य	2 निदेशक (प्रशासन)—सदस्य डी जी एस एंड डी
		3. निदेशक/उप सचिव (पूर्ति)	सदस्य	3. उप सचिव (पूर्ति)—सदस्य

टिप्पण : 1 संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की अनुपस्थिति से विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं हो जाएंगी यदि समिति के आधे से अधिक सदस्य उसकी बैठकों में उपस्थित रहे हों।

टिप्पण 2: पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी किन्तु यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Supply)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 1994

G.S.R. 721 (E).—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Inspection Service Group A Rules, 1961 except as respects of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and Commencement:

(1) This rule may be called the Indian Inspection Service (Group A) Rules, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions: In these rules, unless the context otherwise requires,

(a) "Appointing Authority" in relation to any Grade means the authority empowered under the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, to make appointments to that Grade;

(b) "Cadre" means the group of posts in the grades as specified in Schedule I;

(c) "Cadre Controlling Authority" means the Government of India in the Ministry of Commerce Department of Supply;

(d) "Commission" means the Union Public Service Commission;

(e) "Departmental Promotion Committee" means a committee constituted to consider promotion or confirmation in any Grade;

(f) "Duty Post" means a post included in Schedule-I.

(g) "Government" means the Government of India;

(h) "Grade" means any of the Grades specified Schedule-I.

(i) "regular service" in relation to any Grade means the period or periods of service in that grade rendered after selection and appointment thereto under the rules according to the prescribed procedure for regular appointment to that grade and includes any period or periods:

(i) taken into account for purpose of seniority in case of those appointed under rule 6;

(ii) during which an officer would have held a duty post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such posts;

(j) "Schedule" means a Schedule to these Rules;

(k) "Scheduled Castes and Scheduled Tribes" shall have the same meaning as assigned to them in Clauses (24) and (25) respectively of Article 366 of the Constitution;

(l) "Service" means the Indian Inspection Service (Group 'A');

(m) "Sub-Cadre" means the four disciplines, namely, Engineering, Textiles, Metallurgy and Metallurgical-Chemical in the Junior Time Scale and Senior Time Scale of the Service.

3. Composition of the Service:

(1) All the duty posts included in the service as specified in Schedule-I shall be classified as Central Civil Service Group 'A'.

(2) All the posts in the Senior Time Scale and Junior Time Scale of the Service shall have o sub-cadres, namely, Engineering, Textiles, Metallurgical and Metallurgical-Chemical.

4. Grade, Strength and its review:

(1) The duty posts included in the various grades, their numbers and scales of pay on the date of commencement of these rules shall be as specified in Schedule-I.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1):

(a) the Government may, from time to time, make temporary additions or alterations to the duty posts in various grades;

(b) the Government may, in consultation with the Commission, include in the service such posts as can be deemed to be equivalent to the posts included in the Service in status, grade, pay scale and professional content or exclude from the Service a duty post already included in the Service; and

(c) the Government may, in consultation with the Commission, appoint an officer to a duty post included in the Service under clause (b) to the appropriate grade on a regular basis and fix his seniority in the grade after taking into account continued regular service in the analogous grade.

5. Member of the Service:

(1) The following persons shall be the members of the Service:

(a) persons appointed to duty posts under rule 6; and

(b) persons appointed to duty posts under rule 7.

(2) A person appointed under clause (a) of sub-rule (1) shall, on such appointment, be deemed to be the member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule-I.

(3) A person appointed under clause (b) of sub-rule (1) shall be the member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule-I from the date of such appointment.

6. Initial constitution of the Service:

(1) All existing officers holding duty posts on regular basis in Junior Time Scale, Senior Time Scale, Junior Administrative Grade and Selection Grade Non-Functional of Junior Administrative Grade of the Indian Inspection Service on the date of commencement of these rules shall be members the Service in the respective grades.

(2) The existing officers holding duty posts of Additional Director General and Deputy Director General on regular basis in the Senior Administrative Grade and Selection Grade-Functional in the Junior Administrative Grade respectively of the Service on the date of commencement of these rules shall continue to be in their respective posts and grades as existent before commencement of these rules till they are appointed to the upgraded posts of Additional Director General in the Higher Administrative Grade of Rs. 7300-7600 and Deputy Director General in the Senior Administrative Grade of Rs. 5900-6700 in accordance with the provisions of sub-rule (3).

(3) The suitability of the existing regular holde of the posts of Additional Director General in the Senior Administrative Grade (Rs. 5900-6700) and Deputy Director General in the Functional Selection Grade of JAG (Rs. 4500-5700) prior to upgradation of the posts in the scales of pay of Rs. 7300-7600 and Rs. 5900-6700, respectively, will be initially assessed by the Commission for appointment to the upgrade posts. If assessed suitable, they shall be deemed to have been appointed to the post at the initial constitution. If assessed 'Not Suitable' for appointment to the upgraded scale of pay they shall continue to be in the pre-revised scale and their case would be reviewed every year.

(4) The regular continuous service of officers referred to in sub-rule (1) and sub-rule (2) before the commencement of these rules shall count for the purpose of probation, qualifying service for promotion confirmation and pension in the Service.

(5) Where the Cadre Controlling Authority is not able to fill the posts in authorised regular strength of various grades in accordance with the provisions of this rule, the same shall be filled in accordance with the provisions of rules 7 and 8.

7. Future maintenance of the Service :

(1) The vacancies in any of the grades referred to in Schedule I, shall be filled in the manner hereinafter provided in this rule.

(2) (a) (i) 50% of the vacancies in the Engineering Sub-cadre of the Junior Time Scale of the Service shall , save to the extent provided in clause (ii) hereunder, be filled by direct recruitment on the basis of the results of the Combined Engineering Services Examination conducted by the Commission, on the basis of educational qualifications and age limits decided by the Commission for this purpose.

(ii) Vacancies in the Engineering Sub-cadre of the Junior Time Scale of the Service falling in direct recruitment quota, requiring specialised qualification not covered under combined Engineering Services Examination shall be filled through the UPSC from amongst persons who possess the minimum educational qualifications, experience and age limits specified in Schedule II.

(b) 50% of the vacancies in the sub-cadres of Textiles, Metallurgical and Metallurgical-Chemical in the Junior Time Scale of the Service shall be filled by direct recruitment through the UPSC from amongst the persons who possess the minimum educational qualifications, experience and age limits specified in Schedule-III;

(c) 50% of the vacancies in all four sub-cadres viz. Engineering, Textiles, Metallurgical and Metallurgical-Chemical in the Junior Time Scale of the Service shall be filled by promotion from amongst the officers in the lower grades in respective disciplines with minimum qualifying service as specified in Schedule-IV;

(3) All the vacancies in the four sub-cadres of Senior Time Scale of the Service shall be filled by promotion from amongst the officers in the immediate lower grade in respective sub-cadres with minimum qualifying service as specified in Schedule-IV;

(4) All the vacancies in the Junior Administrative Grade and above of the Service shall be filled by promotion from amongst officers in the immediate lower grade of the Service with minimum qualifying service as specified in Schedule IV.

(5) The selection of officers for promotion shall be made by 'selection on merit' except in the following cases, namely :—

(a) Promotion of officers from the posts in the Junior Time Scale to the posts in the Senior Time Scale of the Service shall be in the order of seniority subject to the rejection of the unfit; and

(b) Grant of Selection Grade (Non Functional) in the Junior Administrative Grade of the Service shall be in the order of seniority based on their suitability taking into account their overall performance, experience and other related matters in accordance with the guidelines issued by the Government from time to time.

(6) Selection of officers in each case under sub-rules (2)(c), (3) and (4) shall be on the recommendations of the Departmental Promotion Committee consituted in accordance with Schedule-V.

(7) If any officer appointed to any post in the Service is considered for the purpose of promotion to the higher post, all persons senior to him in the grade shall also be considered notwithstanding that they do not fulfil the prescribed eligibility service, if the shortfall is not more than one year and provided they have successfully completed their probation period, if prescribed.

8. Filling of Duty Posts by deputation : —

Notwithstanding anything contained in rule 7, where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, fill a duty post in any grade by transfer on deputation for a period not exceeding three years, which may in special circumstances be extended upto five years, as the Government may think fit. The qualifications, experience and the eligibility service for appointment to any grade of the service in

this rule shall be decided by theiGovernment in consultation with the Commission on each occasion.

9. Seniority:

(1) The relative seniority of members of the service appointed to a grade/respective sub-cadres at the time of initial constitution of the Service under rule 6, shall be as obtain on the date of commencement of these rules :

Provided that if the seniority of any such member had not been specifically determined on the said date, the same shall be determined on the basis of the rules governing the fixation of seniority as were applicable to the members of the Service prior to the commencement of these rules.

(2) The seniority of persons recruited to the Service other than those appointed under rule 6 shall be determined in accordance with the general instructions issued by the Government in the matter from time to time.

(3) In cases not covered by sub-rules (1) and (2) seniority shall be determined by the Government in consultation with the Commission.

11. Probation :

(1) Every officer on appointment to the posts in the Junior Time Scale of the Service either by direct recruitment or by promotion shall be on probation for a period of two years :

Provided that the Cadre Controlling Authority any extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Government from time to time in this behalf :

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken immediately after the expiry of initial period of probation and ordinarily within eight weeks and communicated in writing to the concerned officer together with reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof officer shall, if considered fit for permanent appointment, be confirmed in terms of the extant orders of the Government.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, Government may discharge the officer or revert him to the post held by him prior to this appointment in the Service, as the case may be.

(4) During the period of probation or any extension thereof an officer may be required by Government to undergo such courses of training or to pass such examinations or tests (including examination in Hindi) as the Government may deem fit, as condition for satisfactory completion of probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the members of the Service s will be governed by the orders or instructions issued by the Government in this regard from time to time.

11. Appointment to the service :

All appointments to the Service shall be made by the Appointing Authority for all the duty posts in various grades of the Service.

12. Posting :

Officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or abroad.

13. Liability to serve Defence Services or posts connected with Defence :—

Any officer appointed to the Service, if so required, shall be liable to serve in any Defence Service or post connected with the Defence of India, for a period of not less than four years including the period spent on training, if any :

Provided that such officers

(i) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment to the service or from the date of his joining the Service;

(ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid if he has attained the age of forty years.

14. Disqualification :—

No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spoue living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment of the Service :

Provided that the Central Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

15. Other conditions of the Service :—

The conditions of service of members of the Service in respect of matters for which no specific provision has been made in these rules, shall be the same as are applicable, from time to time, to officers of equivalent rank of the Central Government.

16. Power to relax :

Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

17. Saving :

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation in age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders by the Government from time to time in this regard.

18. Interpretation :

If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be decided by the Government in consultation with the Commission.

[F. No. 1-12011/1/90-ES II]
MUSAFIR SINGH, Under Secy.

Note : Principal Rules were notified vide Notification No. ES-II/60(4)/57, dated 19-1-1961 published in the Gazette of India under GSR No. 66 dated subsequently amended by:-

Sl. No.	Notification No.	Date	GSR No.
1.		21-05-63	Readily not available
2.	49/24/61-ES II	18-01-64	199 dt. 8-2-1964
3.	P.60/1/62-ESII	18-6-65	916 dt. 3-7-1965
4.	42/29/65-ESII	30-11-65	1801 dt. 11-12-1965
5.		18-9-68	Readily not available
6.		14-3-69	Readily not available.
7.	60/1/68-ESII	15-3-71	422 dt. 27-3-1971
8.	49/9/69-ESII	25-5-72	638 dt. 3-6-1972
9.	49/9/69-I SII	16-8-72	1218 dt. 30-9-1972
10.	60/1/68-ESII	30-8-72	1219 dt. 30-9-1972
11.	A-12025/ /76-ESII	30-6-77	890 dt. 23-7-1977
12.	A-12018/7/83-ESII	31-10-83	966 dt. 17-12-1983
13.	A-12018/7/83-ESII		

SCHEDULE-I

[See Sub-rule (1) of Rule 4]

Name, Number and Scale of Pay of Duty Posts in the varilous grades of the Indian Inspection Service (Group 'A')

S. No.	Name of the Grade/post	No. of Posts*	Scale of Pay
1.	Higher Administrative Grade (Additional Director General)	1	Rs. 7300-100-7600/-
2.	Senior Administrative Grade (Deputy Director General)	5	Rs. 5900-200-6700/-
3.	Junior Administrative Grade-Selection Grade Non-Functional@ (Director)	†	Rs. 4500-150-5700/-

1	2	3	4
4. Junior Administrative Grade (Director)		21(@)	Rs. 3700-125-4700-150-5000/-
5. Senior Time Scale (Deputy Director)		46	Rs. 3000-100-3500-125-4500/-
Engineering	—27		
Textiles	—06		
Metallurgical	—11		
Metallurgical-Chemical	—02		
6. Junior Time Scale (Assistant Director/Inspecting Officer)		Duty Post 30	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000/-

Duty Posts:-		Reserves		
		Leave	Deputation	Probation
[Engineering	—14	06	04	04
Textiles	— 5	01	—	—
Metallurgical	— 9	01	01	—
Met. Chemical	—2]	01	—	—
	30	Total Reserve 18		

*In 1994 subject to variation dependent on workload.

@Also includes Selection Grade Non-Functional posts in the scale of pay of Rs. 4500-150-5700/-.

†The Junior Administrative Grade-Selection Grade is Non-Functional and the maximum number of posts in this Grade shall be equal to 15% of the senior duty posts (i.e. all duty posts at the level of Senior Time Scale and above in the Service) and maximum number of posts in the Selection Grade-Non-Functional will be limited to the number of posts sanctioned in Junior Administrative Grade.

SCHEDULE-II

[See sub-rule (2) (a) (ii) of Rule 7]

Minimum educational qualifications and age limits for direct recruitment to posts in the Engineering Sub-Cadre of Junior Time Scale not covered under the Combined Engineering Services Examination.

Engineering Sub-Cadre

(i) Degree in relevant branch of Engineering from a recognised University/Institution or equivalent.

(ii) Three years professional experience in the relevant branch of Engineering.

NOTE 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwise well qualified.

NOTE 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

The exact discipline shall be indicated at the time of each selection.

Age of such candidates shall not exceed 35 years (relaxable for Government Servant upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government).

NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

SCHEDULE III

[See sub-Rule 2 (b) of Rule 7]

Minimum educational qualifications and age limits for direct recruitmcnt to posts in the Textiles, Metallurgy and Met-Chemical Sub-cadres of Junior Time Scale of Indian Inspection Service.

(A) Textiles Sub-Cadre

(i) Degree in Textiles Technology or Leather Technology from a reeognised University/Institution or equivalcnt.

(ii) Three years professional experience in manufacturing or quality control of textiles/leather goods.

Age of such candidates shall not exceed 35 years (relaxable for Government Servant upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government).

(B) Metallurgical Sub-Cadre

(i) Degree in Metallurgy from a reeognised University/Institution or equivalent.

(ii) Three years professional experience in production or quality control of metallurgieal products.

Age of such candidates shall not exceed 35 years (relaxable for Government Servant upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Govcrnmcnt).

(C) Met.-Chemical Sub-Cadre

(i) Master's Degree in Chemistry from a recognised University/Institution or equivalent.

(ii) Three years professional experience in chemical analysis of mctals and non-metals.

Age of such candidates shall not exceed 35 years (relaxable for Government Servant upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Government).

NOTE 1: Qualifications are relaxablc at the discretion of the UPSC in case of candidates otherwisc well qualified.

NOTE 2: The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

NOTE: The crucial date for determining the age limit shall be the elosing date for receipt of applications from candidates in India (andinot the elosing date preseribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manpur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

SCHEDULE IV

[See rub-rules (2) (e), (3) and (4) of Rule 7]

Method of recruitment, field of promotion and minimum qualifying service in the immediate lower grade for appointment of officers on promotion to duty posts included in the various grades of the Indian Inspection Service.

Sl. No.	Grade (Duty Posts)	Method of Rectt.	Field of seleetion and minimum qualifying service for promotinn
1	2	3	4
1.	Higher Administrative Grade (Additional Director General)	By Promotion	Officers in the Senior Administrative Grade with three years regular service in the Grade.
2.	Senior Administrative Grade (Deputy Director General)	By Promotion	Officers in the Junior Administrative Grade with 8 years regular service in the grade (ineluding Service, if any, in the Non-Funetional Seleetion Grade) or 17 years regular service in Group 'A' posts in the Service, out of which 4 years regular service should be in Junior Administrative Grade.

1	2	3	4
3.	Junior Administrative Grade Selection Grade-Non-Functional (Director)	By appointment on the basis of seniority based on suitability taking into account overall performance, experience and any other related matters.	Officers in the Junior Administrative Grade who have entered the fourteenth year of Group 'A' service on the first of July of the year calculated from the year following the year of examination/selection through which the member was appointed/recruited to Grogp 'A' posts.
4.	Junior Administrative Grade. (Director)	By promotion	Officers in the Senior Time Scale in all the four sub-cadres of the service with 5 years regular service in the Grade. Note:- For the purpose of promotion to posts in the Junior Administrative Grade, an eligibility list of all officers of the four sub-cadres of the Senior Time Scale of the Service shall be prepared with reference to date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective sub-cadres, without disturbing their inter-se-seniority in the respective sub-cadres;
5.	Senior Time Scale (Deputy-Director)	By Promotion on non-selection basis	Officers in the Junior Time Scale of the respective sub-cadres of the Service with 4 years regular service in the grade, possessing educational qualification prescribed for direct recruitment for Junior Time Scale of the Service. Note:- However, the educational qualifications prescribed for direct recruitment for Junior Time Scale of the Service will not be applicable to the existing incumbents holding the post of Assistant Director/ Inspecting Officer on regular basis on the date of notification of these Rules.
6.	Junior Time Scale (Assistant Director/Inspecting Officer)	50% by Promotion 50% by direct recruitment as per rule 7(2)(a)(i), 2(a)(ii), 2(b)	Assistant Inspecting Officers of the respective disciplines with three years regular service in the grade.

SCHEDULE-V

[See sub-rule (6) of Rule 7]

Composition of Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering cases of promotion and confirmation in Group 'A' posts included in the Indian Inspection Service.

Sl. No.	Grade	Gr. 'A' DPC (for considering promotion)		Gr. 'A' DPC (for considering confirmation)
1	2	3		4
1.	Higher Administrative Grade (Additional Director General)	(1) Chairman/ Member of UPSC	Chairmau	Not Applicable
		(2) Secretary (Supply)	Member	
		(3) Secretary, M/o Commerce	Member	
2.	Senior Administrative Grade (Deputy Director General)	(1) Chairman/ Member of UPSC	Chairman	Not Applicable
		(2) Secretary/Additional Secretary (Supply)	Member	
		(3) Director General (S&D)	Member	
3.	Junior Administrative Grade Selection Grade (NF) (Director)	(1) Secretary/ Additional Secretary (Supply)	Chairman	Not Applicable

1	2	3	4
	(2) Additional Director General	Member	
	(3) Joint Secretary (Supply)	Member	
4. Junior Administrative Grade (Director)	(1) Chairman/ Member of UPSC	Chairman	Not Applicable
	(2) Joint Secretary (Supply)	Member	
	(3) Additional Director General	Member	
5. Senior Time Scale (Deputy Director)	(1) Joint Secretary (Supply)	Chairman	Not Applicable
	(2) Deputy Director General	Member	
	(3) Director/Deputy Secretary (Supply)	Member	
6. Junior Time Scale (Assistant Director/Inspecting Officer)	(1) Chairman/ Member, UPSC	Chairman	(1) Director General (S&D)/ Additional Director General—Chairman
	(2) Additional Director General/ Deputy Director General	Member	(2) Director (Admn) DGS&D—Member
	(3) Director/Deputy Secretary (Supply)	Member	(3) Deputy Secretary (Supply) —Member

Note 1. The absence of a Member, other than the Chairman or a Member of the UPSC shall not invalidate the proceeding of the Departmental Promotion Committee if more than half of the members of the Committee had attended its meeting.

Note 2. The proceedings of the DPC relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the DPC to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994